-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–अशोक नगर — R 1785 II/12

श्रीराम पुत्र प्यारेलाल यादव, निवासी– ग्राम फुलवाड़ीपुर तहसील मुंगावली, जिला– अशोक नगर

.... आवेदक

श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 19/6/12 को प्रस्तुत 19/6/12 ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– श्रीमती अंगूरीबाई पत्नी पहलवान सिंह

2– श्रीमत बृजेशबाई पत्नी बलवीर सिंह

3– श्रीमती कपूरीबाई पत्नी संग्राम सिंह, निवासीगण– फुलवाड़ीपुर तहसील मुंगावली, जिला– अशोक नगर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.06.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा विवादित भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2010 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु नामान्तरण तहसीलदार मुंगावली के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन–पत्र को प्रकरण क्रमांक 21/अ–6/2010–11 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस प्रकरण में अनावेदक की ओर से तहसीलदार मुंगावली के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के समक्ष दावा विचाराधीन है अतः ऐसी स्थिति में दावा के निराकरण तक राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तहसीलदार मुंगावली द्वारा उक्त आवेदन–पत्र पर उभय पक्षों की

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश -- ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 1785–दो/2012 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो / अभिभाषक आदि के हस्ता0
9.11.16	यह निगरानी अतिरिक्त कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 61/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 5–6–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार मुंगावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके ग्राम सागर अथाई की आराजी नंबर 218/1/2 रकबा 3.344 हैक्टर में से रकबा 1.045 हैक्टर पर विकय पत्र दिनॉक 19–7–2010 पर से नामंत्रण की मॉग की, जिस पर से तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 21 अ–6/10–11 पंजीबद्व किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि जिस विकय पत्र के आधार पर नामांत्रण प्रकरण दर्ज किया गया है, विकय पत्र को व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी गई है इसलिये विकय पत्र के आधार पर की जा रही नामांत्रण कार्यवाही निरस्त की जावे। तहसीलदार मुंगावली ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 21–6–11 पारित किया तथा अनावेदकगण का आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अति0 कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में निगरानी दायर कराई। अतिरिक्त कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 61/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 5–6–2012 से निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिया कि जब अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में निष्पादित हुये विकय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद प्रचलित है ऐसे विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करना विवादों को बढ़ावा देना है इसलिये दीवानी दावे तक नामांत्रण कार्यवाही स्थगन योग्य है। अति0कलेक्टर के इसी निर्णय के	

प्रकरण कमांक 1785–दो/2012 निगरानी

विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी के आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना देने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं इसलिये एकपक्षीय किया गया है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिशीलन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि यह सही है कि वाद विचारित भूमि को आवेदक ने पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 19–7–2010 से कय किया है जिस पर नामान्तरण कार्यवाही तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 21 अ–6/10–11 में विचार में है, किन्तु अनावेदकगण की आपत्ति एंव प्रमाण में प्रस्तुत माननीय अति0अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली के न्यायालय में प्रचलित वाद कमांक 4/2011 ई0दी0 के अनुसार पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 19–7–2010 को शून्य घोषित करने का दावा विचारित है और जब विकय पत्र को माननीय व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी गई है तब माननीय व्यवहार न्यायालय से विकय पत्र मान्य होने अथवा शून्य होने के उपरांत ही नामान्तरण कार्यवाही करने अथवा न करने पर विचार करना उचित रहेगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 61/ 2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 5–6–2012 में लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है एंव अतिरिक्त कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 61/ 2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 5–6–2012 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य